मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

प्रेस नोट

दिनांक 07.12.2015

राज्य सेवा परीक्षा–2012 के संबंध में दिनांक 27.11.2015 को आयोग की संपन्न हुई बैठक में लिया गया निर्णय

विषय : माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलुपर के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा–2012 के संबंध में दिनांक 22.11.2015 के द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में एस.टी.एफ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.11.2015.

———:::———

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ–जबलपुर व्दारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2012 के संबंध में आदेश दिनांक 22/07/2015 निम्नानुसार है :–

In this view of the matter, these writ petitions are disposed of with the following directions.

(1) That the respondent No. 3 STF is directed to complete the investigation of the offence registered in two crime numbers within a period of four months and also find out that whether large number of students were involved or not and submit is report to the PSC respondent no.

(2) Thereafter, the Public Service Commission shall take a decision that whether interview of selected candidates can be conducted or not within a period of one months keeping in mind the principle of law laiddown by the Supreme Court in the case of joginder Pal and others (supra) and thereafter, the respondent no.2 shall fix the dates of interview. No order as to costs.

Certified copy as per rules

माननीय न्यायालय के आदेश में एस0टी0एफ0 को निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है :–

1. प्रकरण कमांक 14/14 एवं 23/14 में जॉच पूरी करना थी ।
2. यह जानकारी प्रदान करना थी कि क्या बड़ी संख्या में प्रकरण में अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है या नहीं ।
3. कंडिका 1 एवं 2 लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था ।

माननीय न्यायालय ने एस.टी.एफ से उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आयोग को साक्षात्कार आयोजन के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है ।
उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में एस0टी0एफ0 व्दारा दिनांक 21/11/2015 को अपने पत्र उपुअ/एस0टी0एफ0/एसएस/2015 (253) भोपाल दिनांक 21/11/2015 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की है । रिपोर्ट के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य उभरकर सामने आते है।

1. प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक–17 में लिखा गया है कि उपरोक्त गिरफ्तारसुधा आरोपियों से व्यवसायिक तरीके से पूछ–ताछ व अभी तक आए साक्ष्यों से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा–2012 की प्रारंभिक परीक्षा में 12 परीक्षार्थी एवं मुख्य परीक्षा में 11 परीक्षार्थियों की संलिप्तता स्पष्ट हुई है ।

..2..

2. प्रकरण की विवेचना से यह स्पष्ट हुआ है कि गिरोह का सरगना बेदीराम जाटव है ।
3. प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक–19 के अंतिम पैरा में लिखा गया है कि अभी तक मुख्य सरगना बेदीराम व दीपक कुमार पकडे नहीं जा सके है । इनके गिरफ्तार होने के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सकेगा कि उपरोक्त पेपर कितने ग्रुपों के व्दारा तथा कहां–कहां पढाया गया है ।
4. प्रतिवेदन के पृष्ठ–23–24 पर निम्नलिखित अनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत किया **गया है** :–

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा–2012 के अतिरिक्त जिन परीक्षाओं के पेपर सरगना बेदीराम एवं अन्य व्दारा लीक किए गये थे उनमें या तो एक ही प्रश्न पत्र होता था या दो प्रश्न पत्र होते थे और
2. परीक्षा एक दिनांक में सम्पन्न हो जाती थी । परीक्षा उपरांत पेपर मिलान करने के बाद पैसे की वसूली भी हो जाती थी । जबकि राज्य सेवा परीक्षा–2012 में तीन चरणों में सम्पन्न होनी थी । तथा आरोपी सरगना को अवैध धनलाभ की राशि तभी प्राप्त होती जब तीनों चरणों में परीक्षार्थी सफल हो जाते ।
3. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा–2012 कुल 31 विषयों के 61 पेपर थें जो अलग–अलग तिथियों में होने थें अर्थात मुख्य परीक्षा के विषयों के परीक्षा दिनांक में समय अंतराल ज्यादा होता है इस कारण गोपनीयता बनाए रखना कठिन था ।
4. परीक्षार्थियों व्दारा अलग–अलग विषयों का चयन किया जात है परीक्षार्थियों के अलग–अलग विषय होने से अलग–अलग विषय के प्रश्नपत्र की व्यवस्था करनी पडती है जो कि कठिन होता है । तथा जो प्रश्नपत्र सरगनाओं को उपलब्ध भी जाते है सरगानाओं के पास उपलब्ध प्रश्नपत्रों से संबंधित 'परीक्षार्थियों को खोजना भी कठिन होता है ।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बीच समयन्तराल अधिक होता था इतने समय तक गोपनीयता भी बनाये रखना कठिन होता है । जैसे कि इस प्रकरण की विवेचना मे आया है कि गोपनीयता बनाएँ रखने के लिये परीक्षार्थियों को कटनी से बनारस (प्रारंभिक परीक्षा के दौरान), इलाहबाद, विन्ध्याचल, भोपाल, दिल्ली मुख्य परीक्षा के लिये परिक्षार्थियों को ले जाते थें । इसमें पैसा एवं समय अधिक खर्च होता है ।
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा–2012 पेपर लीक के लिये परिक्षार्थियों से अत्यधिक राशि की मांग की गई थी (20 से 25 लाख रू. प्रति परीक्षार्थी) इतनी अत्यधिक राशि देने में समक्ष परीक्षार्थियों को खोजना में कठिन थां ।
7. बेदीराम गिरोह व्दारा इस प्रकार की परीक्षा के पेपर लिक करने का संभवतः यह प्रथम प्रयास था। इसके पूर्व केवल उन परीक्षाओं के पेपर लीक करता रहा जो एक ही दिनांक में सम्पन्न हो जाती है। जैसे रेल्वे की विभिन्न परीक्षाए, पी.एम.टी. परीक्षाए, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक अधिकारी परीक्षा आदि।
8. बेदीराम, दीपक कुमार निवासी उत्तर प्रदेश, अखिलेश पांडे, बृजेन्द्र शाह निवासी बिहार के होने से मध्यप्रदेश में मध्यस्थ एवं सम्पर्क सूत्र अत्यंत सीमित थे। इस प्रकार ज्यादा परीक्षार्थियों से सम्पर्क नहीं बना पाए।
9. अपराध क्रमांक 14/2014 की अभी तक की विवेचना में गिरफ्तार शुदा परीक्षार्थियों, मध्यस्थों, सरगना अखिलेश पांड़े से पूछताछ काल डिटेल रिकार्ड विश्लेषण के आधार पर सीमित लोगो को ही पेपर मिलने के तथ्य आए है। (मुख्य परीक्षा में 11 परीक्षार्थी एवं प्रारंभिक परीक्षा में 12 परीक्षार्थी)

उपरोक्त कारणों से इस बात की सभावना बहुत कम है, कि पेपर अधिक परीक्षार्थियों को लीक किया गया हो।

2/ (1) एस.टी.एफ. के प्रतिवेदन पर आयोग के अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह से अभिमत प्राप्त किया गया । उनका अभिमत निम्नानुसार है :–

I have seen the judgment dates 22-07-2015 as also relevant relating to the above referred writ petition in which Hon'ble high Court after taking into consideration the return submitted on the behalf of M.P.P.S.C. as also return of the S.T.F. has recorded findings in the judgment dates 22-07-2015 that result of preliminary examination was declared on 21-06-2013 in which petitioners were declared successful followed by their appearing in the main examination conducted from 01-10-2013 to 25-10-2013 and the said result was also declared on 25-04-2014 in which again petitioners were found selected. it is further observed in the aforesaid judgment that as per he guidelines of M.P.P.S.C. the interview of the thrid phase of examination shall be held within a period o 02 months but in the given case even after passing of 02 years interview has not been held. the reasons for not conducting interview is discussed iv details in paragraph no. 5 of the judgment and stand taken by the S.T.F. is also discussed in detail in paragraph no. 6, 7 & 8 of the aforesaid judgment and then by conditional order writ petitions have been disposed of. Recently, report dated 21-11-2015 has Submitted after directions given by the Hon'ble High Court to S.T.F. thus my legal opinion is as follows :-

LEGAL-OPINION

On perusal of records of the above cited writ as also judgmant dates 22-07-2015 and report dates 21-11-2015, I am of the considered opinion that as S.T.F. has been specifically directed by the Hon'ble High Court 'to Complete the investigation of the offences registered in two crime numbers within a period of 04 monts and also find out that whether large number of students were involved or not and submit its report to the P.S.C. .....'The directions given by the Hon'ble High Court to the S.T.F. are in three folds and very clear and i specific terms. Firstly, S.T.F. is required to Complete its investigation with respect to the two crime numbers, secondly, to find out clearly Whether large numbers of students were involved or not ? and thirdly, after carrying out above two directions to submit its report to the P.S.C. thereafter, M.P. P.S.C. shall taken decision whether interview of selected candidates can be conducted or not within a period of one month as per law laid down in the case of joginder pal and others Vs. State of Punjab and others reported in (2014) 6 SCC 644. On perusal of report dated 21-11-2015 it would become crystal clear that S.T.F. has not yet completed its investigation in the two crime numbers as directed by the Hon'ble High Court and that no clear findings are arrived at by the S.T.F. that large number of students are found involved or not. The S.T.F. has only observed.in the aforesaid report that up till now in the investigation it is found that there is a least possibility about involvement of the students in this view of tha matter it would be appropriate to send request letter to the S.T.F. ot furnish its report as per the mandate given by the Hon'ble High Court in its judgment dated 22-07-2015 so as to enable the M.P.P.S.C to

take the decision for taking interview within one month in accordance with the law, as per directives given in the case of Joginder Pal and others Vs. State of Punjab and others (supra) as also in judgment dated 22-07-2015 in respect of such selected candidates who are not specifically been found involved in the report of the S.T.F. by fixing the.

आयोग द्वारा एस.टी.एफ. के प्रतिवेदन एवं उस पर प्राप्त अधिवक्ताओं के अभिमत पर गहन विचार–विमर्श किया आयोग का मत है कि (1) अभी तक एस.टी.एफ. द्वारा दोनों अपराधिक प्रकरणों में जॉच जारी है। (2) एस.टी.एफ द्वारा दो विरोधाभाषी बाते कहीं गई है एक ओर कहां है कि मुख्य सरगना बेदीराम एवं दीपक की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल सकेगा कितने समूहों को कहां कहां लीक प्रश्न पत्रों का लाभ दिया गया है। वही दूसरी ओर उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में 12 एवं मुख्य परीक्षा के 11 अभ्यर्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है और इसमें लाभान्वितों की संख्या बढने की संख्या कम है।

(2) आयोग के अधिवक्ता श्री व्ही.पी. खरे का अभिमत भी संलग्न है ।

आयोग ने उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि :–

1. **एस.टी.एफ से अनुरोध किया जायें कि माननीय उच्च न्यायालय के अनुरूप दोनों प्रकरण 14/14 एवं 23/14 में शीघ्र जॉच पूर्ण करें।**
2. **यह निर्धारित करें कि अंतिम रूप से कितने अभ्यर्थियों ने इस कांड में लाभ प्राप्त किया है।**

Vau

उप सचिव